न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 196 वर्ष 2024

आवेदक– प्रणय कुमार वगै0 केता– रूपा कुमारी
ग्राम– होसिर ग्राम– होसिर टोला– तेतरियाटांड
थाना– गोमिया जिला–बोकारो थाना– गोमिया जिला–बोकारो

आदेश की क0सं0 तारीख 01 | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 03

03/3/25

आदेश

यह वाद **आवेदक 1. प्रणय कुमार, पिता–स्व0 राजेन्द्र राम 2. रितिक कुमार, पिता–स्व0 राजेन्द्र राम, पता ग्राम+पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	**123**	**332**	**5332**	**24 डी0**	**05 डी0**	**रैयती दोन दो, वर्तमान स्परूप परती**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,90,000/–(एक लाख नब्बे हजार) रूपये में **क्रेता रूपा कुमारी, पति–ललन केवट, मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम–होसिर (तेतरियाटांड), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1144/रा0, दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–362, दिनांक–10.02.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. बिक्रेता जाति के चंद्रवंशी–कहार एवं क्रेता जाति के केवट है जो पिछड़ा जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में देवन रैन तेवरी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–156, भौलुम सं0–VI पर धनेश्वर राम के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानी/जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर पोता का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में देवन रैन तेवरी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–156, भौलुम सं0–VI पर धनेश्वर राम के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2023–24 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं

हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता जाति के चंद्रवंशी–कहार एवं क्रेता जाति के केवट है जो पिछड़ा जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक 1. प्रणय कुमार, पिता–स्व0 राजेन्द्र राम 2. रितिक कुमार, पिता–स्व0 राजेन्द्र राम, पता ग्राम+पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
होसिर 123	332	5332	24 डी0	05 डी0	राज कुमार गुप्ता	सुमन्ती देवी	शम्भू प्रसाद	नीज गली
			कुल	5 डी0 (पाँच डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,07,000/–(दो लाख सात हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता रूपा कुमारी, पति–ललन केवट, मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम–होसिर (तेतरियाटांड), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

c.c. ...

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.09.02 16:10:09 +05:30
Location: 10.93.6.142